उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी–21 /ऋण/पत्रा0सं0 L-5/ऋण नीति/2025–26 दिनांक–12-12-25

समस्त वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या–सी–51/ऋण सेल/ऋण नीति/2020–21 दिनांक 09.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा शाखाओं पर ऋण वितरण करने के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं। परिपत्र में ऋण की पात्रता के प्रस्तर–2 में उल्लिखित है कि ऋण लेने हेतु कृषकों के पास कम–से–कम 0.50 एकड़ या उससे अधिक भूमि प्रतिभूति के रूप में लिए जाने के निर्देश हैं।

समीचीन है कि बैंक की शाखाओं पर कृषि आधारित योजनाओं के साथ–साथ अकृषि क्षेत्र में ऋण वितरण तुलनात्मक अधिक हो रहा है। शाखाओं के व्यावसायिक हितों, कृषकों को ऋणों की अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने तथा कृषि भूमि की सीमा 0.50 एकड़ से कम होने के कारण ऋण लेने से वंचित होने वाले कृषकों की आर्थिक स्थिति में उन्नति लाने के उद्देश्य से बैंक की अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी की बैठक दिनांक 01.12.2025 में पारित प्रस्ताव संख्या–3 पर लिए गए निर्णयानुसार ऋण अभिलाषी कृषकों से प्रतिभूति के रूप में न्यूनतम 0.50 एकड़ कृषि भूमि की सीमा को अकृषि क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण हेतु शिथिल करते हुए ऋण धनराशि के सापेक्ष दोगुने मूल्य की कृषि भूमि को प्रतिभूति के रूप में बन्धक करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

12.12.25

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ प्रबन्धक(आई0टी0सेल)उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ की बैंक की वेव–साइट पर अपलोड कराने हेतु।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार ऋण वितरण कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त योजनाधिकारी/प्राचार्य, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0केन्द्र, लखनऊ।
4. समस्त शाखा प्रतिनिधि,उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,उ0प्र0 द्वारा सम्बन्धित शाखा/वरिष्ठ प्रबंधक।
5. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता उत्तर प्रदेश।
6. उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता उत्तर प्रदेश।
7. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (बैंकिंग)/अध्यक्ष–अन्तरिम बैंक प्रबन्ध समिति, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ के अवलोकनार्थ।

12.12.25

प्रबन्ध निदेशक